

प्रेस नोट दिनांक 02.06.2026

प्रेस नोट दिनांक- 02.06.2026

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी एवं कूटरचना के प्रकरण में वांछित पति-पत्नी को गिरफ्तार किया गया-

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को लक्ष्मीगंज बाजार से किया गया गिरफ्तार-

प्रतापगढ़।

वादी द्वारा थाना जेठवारा पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि अभियुक्तगण द्वारा धोखाधड़ी एवं कूटरचना कर गलत तथ्यों के आधार पर आर्थिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया तथा फर्जी अभिलेखों का प्रयोग किया गया। प्राप्त तहरीर एवं जांच के आधार पर थाना जेठवारा पर मु0अ0सं0-45/2026 धारा 318(4), 338, 336(2), 336(3), 61(2) बीएनएस बनाम अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी एवं क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना जेठवारा के उ0नि0 श्री हेमन्त यादव, म0उ0नि0 आकांक्षा वर्मा मय हमराह का0 अरविन्द एवं म0का0 उमा चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, जांच प्रार्थना पत्र एवं तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-45/2026 धारा 318(4), 338, 336(2), 336(3), 61(2) बीएनएस से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तगण को लक्ष्मीगंज बाजार से गिरफ्तार किया गया।

1-अभियुक्त रीता जायसवाल पत्नी हरीबाबू निवासी ग्राम सरायनाहरराय, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0-128/2025, धारा 115(2)/191(2)/324(4)/351(3)/352 बीएनएस, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

2.मु0अ0सं0-045/2026, धारा 318(4)/336(2)/336(3)/338/61(2) बीएनएस, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

2-अभियुक्त हरीबाबू पुत्र पन्नालाल निवासी ग्राम सरायनाहरराय, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0-128/2025, धारा 115(2)/191(2)/324(4)/351(3)/352 बीएनएस, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

2.मु0अ0सं0-045/2026, धारा 318(4)/336(2)/336(3)/338/61(2) बीएनएस, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 हेमन्त यादव, म0उ0नि0 आकांक्षा वर्मा, का0 अरविन्द, म0का0 उमा चौहान, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 02.06.2026

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना रानीगंज पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

थाना रानीगंज के चौकी दुर्गागंज प्रभारी उ0नि0 श्री सन्तोष कुमार यादव मय हमराह का0 पंकज यादव द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-210/2026 धारा 137(2), 87, 64(1), 351(3) बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त सुहेल अहमद पुत्र वाहिद अहमद निवासी ग्राम मिर्जापुर चौहारी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को कछरा का पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही नियमानुसार की गई तथा उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सुहेल अहमद पुत्र वाहिद अहमद निवासी ग्राम मिर्जापुर चौहारी, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 श्री सन्तोष कुमार यादव
का0 पंकज यादव
थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 02.06.2026

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही अन्तर्जनपदीय 02 अभियुक्त 06 अदद जिन्दा बम के साथ गिरफ्तार- 226,800 (दो लाख छब्बीस हजार आठ सौ रुपये बरामद) पल्सर मोटर साइकिल को किया गया सीज

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता : गैंगस्टर, एनडीपीएस व आर्म्स एक्ट के शातिर हिस्ट्रीशीटर अपराधी गिरफ्तार

अंतरजनपदीय आपराधिक गिरोह से जुड़े दो शातिर अपराधियों को पुलिस ने दबोचा

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा 06 अदद जिन्दा अवैध देशी बम के साथ अन्तर्जनपदीय 02 अभियुक्तों को क्षेत्रान्तर्गत नीमा नहर पुलिया के पास से किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा उ0नि0 श्री राकेश चौरसिया के नेतृत्व में उ0नि0 संजय कुमार मय हमराह उ0नि0 हरीन्द नारायण राय, का० रामप्रकाश यादव, का० कैलाश यादव व का० अजीत चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत नीमा नहर पुलिया के पास से मोटर साइकिल सवार 02 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त 1. विपिन कुमार मिश्रा पुत्र अशोक कुमार मिश्रा नि०ग्रा कसरायपुर सरोही थाना कोतवाली भदोही जनपद भदोही उम्र करीब 34 वर्ष 2. पंकज सिंह पुत्र नवल सिंह नि०ग्रा० घोसिला सेवापुरी थाना कपसेठी जनपद वाराणसी उम्र करीब 33 वर्ष को 06 अदद जिन्दा अवैध देशी बम के साथ गिरफ्तार किया गया।

अन्तर्जनपदीय अभियुक्तों के पास से 06 अदद जिन्दा अवैध देशी बम की बरामदगी के संबंध में थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 138/26 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अन्तर्जनपदीय अभियुक्त का विवरण-

1. विपिन कुमार मिश्रा पुत्र अशोक कुमार मिश्रा नि०ग्रा कसरायपुर सरोही थाना कोतवाली भदोही जनपद भदोही उम्र करीब 34 वर्ष
2. पंकज सिंह पुत्र नवल सिंह नि०ग्रा० घोसिला सेवापुरी थाना कपसेठी जनपद वाराणसी उम्र करीब 33 वर्ष

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त विपिन मिश्रा पुत्र अशोक मिश्रा निवासी कंसरायपुर, थाना कोतवाली भदोही, जनपद भदोही का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-240/2020, धारा 63 आबकारी अधिनियम, थाना कोतवाली भदोही, जनपद भदोही।
2. मु0अ0सं0-318/2020, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली भदोही, जनपद भदोही।
3. मु0अ0सं0-113/2021, धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 255/420/471/468 भादवि, थाना कोतवाली भदोही, जनपद भदोही।

4. मु0अ0सं0-250/2018, धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272/273 भादवि, थाना सुरियावाँ, जनपद भदोही।
5. मु0अ0सं0-0332/2014, धारा 120B, 272, 304, 328 भादवि, थाना औराई, जनपद भदोही।
6. मु0अ0सं0-72/2013, धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272/420/467/468/471/472 भादवि, थाना कोतवाली भदोही, जनपद भदोही।-

अभियुक्त पंकज पुत्र नवल सिंह निवासी घोसिला, थाना कपसेठी, जनपद वाराणसी का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-0675/2017, धारा 411/414 भादवि, थाना नेवड़िहा, जनपद जौनपुर।
2. मु0अ0सं0-127/2019, धारा 323/504/506 भादवि, थाना जंसा, जनपद वाराणसी।
3. मु0अ0सं0-183/2019, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना जंसा, जनपद वाराणसी।
4. मु0अ0सं0-60/2025, धारा 115(2)/351(3)/131/352 बीएनएस, थाना जंसा, जनपद वाराणसी।
5. मु0अ0सं0-266/2016, धारा 147/148/308/323/34/354/427/452/504/506 भादवि, थाना कपसेठी, जनपद वाराणसी।
6. मु0अ0सं0-334/2016, धारा 323/352/506 भादवि, थाना कपसेठी, जनपद वाराणसी।
7. मु0अ0सं0-157/2020, धारा 147/323/504/506 भादवि, थाना कपसेठी, जनपद वाराणसी।
8. मु0अ0सं0-68/2021, धारा 120बी/386/506/507 भादवि, थाना कपसेठी, जनपद वाराणसी।
9. मु0अ0सं0-182/2021, धारा 386 भादवि, थाना कपसेठी, जनपद वाराणसी।
10. मु0अ0सं0-42/2022, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना कपसेठी, जनपद वाराणसी।
11. मु0अ0सं0-24/2026, धारा 308(2)/351(3)/352 बीएनएस, थाना कपसेठी, जनपद वाराणसी।
12. मु0अ0सं0-11/2018, धारा 147/307 भादवि, थाना लोहता, जनपद वाराणसी।
13. मु0अ0सं0-13/2018, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना लोहता, जनपद वाराणसी।
14. मु0अ0सं0-363/2019, धारा 60/63 आबकारी अधिनियम, थाना लोहता, जनपद वाराणसी।
15. मु0अ0सं0-242/2020, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना भदोही, जनपद भदोही।
16. मु0अ0सं0-54/2023, धारा 20/25/8 एनडीपीएस एक्ट, 3(1) गैंगस्टर एक्ट व 207 एमवी एक्ट, थाना ऊंज, जनपद भदोही।

बरामदगी-

06 अदद जिन्दा अवैध देशी बम बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 संजय कुमार मय हमराह उ0नि0 हरीन्द नारायण राय, का० रामप्रकाश यादव, का० कैलाश यादव व का० अजीत चौहान थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 02.06.2026

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा, जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

एक दर्जन से अधिक मुकदमों में नामजद अपराधी गिरफ्तार, अवैध असलहा बरामद

प्रतापगढ़ पुलिस को मिली सफलताय अवैध 01 एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ 01 शातिर अभियुक्त प्रिंस सिंह उर्फ सत्यदेव सिंह को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामगंज के पास नवनिर्मित पानी की टंकी के पास से गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री गौरव त्रिवेदी के नेतृत्व में उ0नि0 रोहित कुमार मय हमराह मय हस्बुल तलब हमराह उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र कुमार का0 अजय चौहान द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामगंज के पास नवनिर्मित पानी की टंकी के पास से 01 अभियुक्त प्रिंस सिंह उर्फ सत्यदेव सिंह पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम वीरशाहपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को 01 एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होने के संबंध में थाना सांगीपुर में मु0अ0सं0 115/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

प्रिंस सिंह उर्फ सत्यदेव सिंह पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम वीरशाहपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

प्रिंस सिंह उर्फ सत्यदेव सिंह का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-229/2018, धारा 419/420/467/468/471/272/273 भादवि व 103/104 व्यापार एवं पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 63/66(2) आबकारी अधिनियम, थाना सांगीपुर।
2. मु0अ0सं0-172/2019, धारा 419/420/467/468/471/272/273 भादवि, 60/60A आबकारी अधिनियम व 63 कॉपीराइट एक्ट, थाना सांगीपुर।
3. मु0अ0सं0-160/2018, धारा 272/255/471/468/467/440/419/420 भादवि, 60/63 आबकारी अधिनियम व 63 कॉपीराइट एक्ट थाना उदयपुर।
4. मु0अ0सं0-352/2020, धारा 364-A भादवि, थाना कुण्डा।
5. मु0अ0सं0-126/2012, धारा 147/323/325 भादवि, थाना सांगीपुर।
6. मु0अ0सं0-131/2012, धारा 110(G) भादवि, थाना सांगीपुर।
7. मु0अ0सं0-44/2009, धारा 279/304A भादवि, थाना सांगीपुर।
8. मु0अ0सं0-26/2012, धारा 324/354/452/506 भादवि, थाना कुण्डा।
9. मु0अ0सं0-678/2020, धारा 60/72 आबकारी अधिनियम, 63/65 कॉपीराइट एक्ट, 272/420/467/468/471 भादवि व 103/104 व्यापार एवं पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, थाना कोतवाली नगर।

10. मु0अ0सं0-12/2022, धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम, थाना सांगीपुरा
11. मु0अ0सं0-21/2018, धारा 135 विद्युत अधिनियम, थाना सांगीपुरा
12. मु0अ0सं0-81/2021, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट, थाना सांगीपुरा
13. मु0अ0सं0-115/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सांगीपुरा
14. मु0अ0सं0-454/2024, धारा 115(2), 351(3), 352 बीएनएस, थाना लालगंजा

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 रोहित कुमार मय हमराह उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र कुमार का0 अजय चौहान थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।